

सेवा में,

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी  
राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान  
निकट आई.आई.टी. गेट, कल्यानपुर  
कानपुर नगर

10/02/23  
श्रीमान् जनसूचना अधिकारी  
18/2

विषय:- जनसूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना

श्रीमान् जी,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता है-

प्रश्न - यह कि आपके विभाग द्वारा आराजी सं० 110 नारामऊ बांगर कानपुर नगर

का कितना क्षेत्रफल है और कब अधिग्रहित किया गया ?

उत्तर -



दिनांक:- 10/02/2023

संलग्नक-

1- सूचना शुल्क 10/-रु० का

नोट सं०-33डी 457400

प्रार्थी  
[Signature]





फाइल संख्या: 25(52)/2022-23/RTI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

NATIONAL SUGAR INSTITUTE

आई0एस0ओ0 9001 – 2015 प्रमाणित संस्थान

An ISO 9001:2015 Certified Institute

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

Department of Food & Public Distribution

भारत सरकार

Government of India

कानपुर, दिनांक- 06-03-2023

सेवा में,

-----

क. . . . .

जारी

संख्या: 1872

दिनांक: 07/03/23

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत RTI प्रार्थना पत्र दिनांक 10-02-2023 के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित RTI प्रार्थना पत्र दिनांक 10-02-2023 जो कि संस्थान में 13-02-2023 को प्राप्त हुआ है, के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आराजी संख्या 110 नारामऊ बांगर, कानपुर नगर का क्षेत्रफल 0.2150 हेक्टेयर है । यह भी सूचित किया जाता है कि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ शुगर टेक्नोलाजी (वर्तमान में नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट) हेतु 524 एकड़ भूमि का अधिग्रहण संलग्न नोटिफिकेशन दि0 22.02.1957 के अनुसार शुरू किया गया।

2. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इस पत्र के जारी करने के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर-208017

संलग्नक: उपरोक्त

१/८

भवदीय,

6/3/23

(बृजेश कुमार साहू)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

Government of Uttar Pradesh  
Industries (Ad) Department

699 (11)/XVIII-D-36(Ed)/55

U.P. Govt Order Dated February 22, 1957.

Notification  
Miscellaneous.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act 1894 (Act 10 I of 1894), the Governor of Uttar Pradesh is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule given below is needed for a public purpose.

2. The governor also being of opinion that the provisions as sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the land, is further pleased, under sub-section (4) of the said section to direct that the provisions of section 5-A of the Act shall not apply.

Schedule.

| District | Fargana | Mauza                   | Approximate area | For what purpose required.            |
|----------|---------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Kanpur   | Kanpur  | 1. Beri Akbarpur Bangar | 381.00 Acres     | For Indian Institute Sugar Technology |
|          |         | 2. Naranal Bangar       | 143.00 Acres     |                                       |
|          |         | Total                   | 524.00 Acres.    |                                       |

Note:- A plan of the land may be inspected in the office of the District Land Acquisition Officer, Development Board, Kanpur

By Order,  
R.N. Singh,  
Secretary.

TRUE COPY.